न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 88/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–छतरसिह उर्फ चुतरसिह पुत्र शिवनाथसिह 2– काछबसिह पुत्र शिवनाथसिह 3– चिमनसिह पुत्र शिवनाथसिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम भालू लक्ष्मणगढ तहसील बालेसर जिला जोधपुर		1– भंवरसिह पुत्र देवीसिह 2– रामुकंवर पत्नी देवीसिह दोनो जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम भालू लक्ष्मणगढ तहसील बालेसर जिला जोधपुर 3– सरपंच ग्राम पंचायत भालूकलां पंचायत समिति बालेसर, जिला जोधपुर 4– राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 13–5–2019 जो राजस्व अपील संख्या 15/2016 अनवान भंवरसिह बनाम छतरसिह वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थिति–

1– श्री बाबूलाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से ।
2– श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–11–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने ग्राम भालूकंला तहसील शेरगढ के नामांतरकरण संख्या 164 पर सरपंच ग्राम पंचायत भालूकलां द्वारा पारित स्वीकृति दिनांक 25–4–73 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त नामांतरकरण मे वर्णित ग्राम भालूकला के खसरा नंबर 557 की कुल 134.04 बीघा भूमि के सहखातेतदार सुलतानसिह ने अपने हिस्से की भूमि का कभी कोई बेचान नही किया था परंतु राजस्व कर्मचारियो से मिलीभगत से सुलतानसिह के हिस्से की भूमि का अपंजीकृत बेचान बताते हुए उक्त अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 164 गलत तरीके से सरपंच ग्राम पंचायत भालूकलां द्वारा स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त कर मृतक सुलतानसिह के हिस्से की भूमि उनके नाम दर्ज करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2019 के द्वारा अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत भालूकलां द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 164 दिनांक 25–4–1973 को अपास्त कर मृतक खातेदार सुलतानसिह के विधिक वारिसान एवं समस्त प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण तहसीलदार बालेसर को रिमाण्ड किया गया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13–5–2019 से व्यथित

होकर अपीलांट ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए कथन किया किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील आदेशिका दिनांक 7–9–2017 के द्वारा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारीज कर दी गई थी जिसे पुनः दिनांक 18–9–2017 की आदेशिका के जरिये पुनः अपील को रेस्टोर किया जाकर रेस्पो0 के सम्मन जारी करने के आदेश पारित किये गये, उसके पश्चात दिनांक 26–10–2017 से दिनांक 25–4–2019 तक पत्रावली मे कोई कार्यवाही नही हुई तथा दिनांक 25–4–2019 की आदेशिका से पुनः नोटिस जारी करने के आदेश पारित करते हुए पत्रावली आयंदा दिनांक 1–5–2019 मुकर्रर की गई तथा उसी दिन प्रत्यर्थी के नोटिस तामिल मानते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–5–2019 को पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश नैसर्गिक न्याय के प्राकतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नोटिसेज जिसमे नोटिस जारी की दिनांक 1–5–19 तथा तारीख पेशी 8–5–19 दर्शाई गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 8–5–19 की कोई आदेशिका ड्रॉ ही नही हुई है तथा अधीनस्थ न्यायालय से जिस तारीख को नोटिस जारी हुए है उसी तारीख दिनांक 1–5–19 की आदेशिका मे ही रेस्पो0 को अनुपस्थित बताते हुए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित कर दिये, इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की न्यायिक प्रकिया त्रुटिपूर्ण होने से अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 164 जो कि स्टाम्प पर बेचान की लिखत के आधार पर वर्ष 1973 मे स्वीकृत किया गया था तथा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय मे यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की थी कि खातेदार सुलतानसिह ने कोई बेचान किया ही नही था ऐसे मे वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को मिलीभगत करने वालो के विरूद्ध कोई फौजदारी कार्यवाही की जानी चाहिए थी जो अब तक क्यों नहीं की तथा न ही रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने बेचान को कही चेलेंज ही किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के जो एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 1973 मे स्वीकृत नामांतरकरण के विरूद्ध लगभग 46 वर्ष के विलंब से अपील प्रस्तुत हुई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे 46 वर्षो के विलंब को क्षमा करने का कोई कारण का उल्लेख किये बिना ही अपील को अंदर मयाद सुमार करने का ज़ो अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नही है । वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संबंध मे ही अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बालेसर के न्यायालय मे एक दिवानी वाद भी विचाराधीन है जिसमे दिनांक

11–8–2010 को एक प्रार्थना पत्र द्वारा देवीसिह पुत्र आनन्दसिह जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पूर्व पुरूष थे ने प्रस्तुत किया जिसमे दिनांक 22–7–2011 को जवाब दावा भी प्रस्तुत हुआ तत्पश्चात वर्ष 2016 मे हस्तगत प्रकरण की अपील पेश की गई जिसमे जानकारी वर्ष 2016 मे होना बताया जो स्वीकार योग्य नही होने पर भी अधीनस्थ न्ययालय ने अपील को अंदर मयाद सुमार करने का जो आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है तथा वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को अधीनस्थ न्यायायल मे अपील पेश करने का लोकस ही नही था क्योकि वे सह खातेदार सुलतान सिह के क्या लगते है तथा कैसे प्रभावित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे वारिसान की जांच बाबत जो आदेश पारित किया है वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2019 विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि सह खातेदार सुलतानसिह हमारे दूर के चाचा लगते है तथा अपीलाधीन भूमि मे हमारा 3/4 हिस्सा तथा सुलतानसिह का 1/4 हिस्सा था तथा रेस्पो0 की 3/4 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त हमारा ही चला आ रहा है इसलिए हम प्रभावित होने से अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलाधीन म्युटेशन को अपील के जरिये चुनौती दी थी जिस पर पारित निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 164 जिसे सरपंच ग्राम पंचायत भालूकलां द्वारा स्वीकृत किया जाना पाया जाता है परंतु ग्राम पंचायत भालूकलां कभी अस्तित्व मे ही नही थी बल्कि ग्राम पंचायत भालू राजवा थी इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन विधिविरूद्ध तरीके से बेचान होना बताते हुए स्वीकृत कर दिया जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए उक्त त्रुटिपूर्ण स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 164 ग्राम भालूकला को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार बालेसर को मृतक खातेदार सुलतानसिह के विधिक वारिसान एवं समस्त प्रभावित पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नामांतरकरण की कार्यवाही करने हेतु रिमाण्ड करने का जो आदेश पारित किया है उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की वर्तमान अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से जारी सम्मन मे तारीख सहवन से लिख दी गई फिर भी वर्तमान अपीलांट को दिनांक 8–5–2019 की तारीख पेशी के नोटिस तामिल हुए भी थे तो उक्त तारीख पेशी दिनांक 8–5–2019 को भी अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हो सकते थे परंतु उक्त तिथी पर भी उपस्थित नही हुए थे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने एक्स पार्टी करते हुए

जो एकपक्षीय आदेश पारित किये है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया तथा यह भी कथन किया कि हमारे अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यो के मध्यनजर अपील को अंदर मयाद सुमार करने का आदेश पारित करते हुए पारित किया गया निर्णय विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 164 तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2019 आदि का गहनता से अध्ययन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 164 का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि उक्त नामांतरकरण स्टाम्प पर बेचान की लिखत के आधार पर अपीलांट चिमनसिह के पक्ष मे भरा जाकर सरपंच ग्राम पंचायत भालूकलां द्वारा दिनांक 25–4–73 को स्वीकृत किया गया था ।

वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने म्युटेशन संख्या 164 ग्राम भालूकला के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 46 वर्षो के असाधारण विलंब से यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि मृतक खातेदार सुलतानसिह ने उक्त म्युटेशन मे वर्णित भूमि का बेचान किया ही नही था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष इतनी असाधारण देरी से प्रस्तुत अपील को अंदर मयाद सुमार करने का जो आदेश पारित किया है, वह समर्थन योग्य नही माना जा सकता है क्योंकि वर्तमान अपील मे किये गये उल्लेख अनुसार अपीलाधीन भूमि के संबंध मे अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बालेसर मे प्रस्तुत दिवानी वाद मे दिनांक 11–8–2010 को एक प्रार्थना पत्र देवीसिह पुत्र आनन्दसिह जो कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के पूर्व पुरूष थे, द्वारा प्रस्तुत किया था जिसमे दिनांक 22–7–2011 को जवाब दावा भी प्रस्तुत हुआ था अथार्त अपीलाधीन नामांतरकरण की जानकारी तो रेस्पो0गण संख्या 1 व 2 को एवं उनके पूर्व पुरूष को तत्समय ही हो चुकी थी फिर भी उक्त तथ्यो को छुपाते हुए अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे गलत तथ्य अंकित करते हुए अपील को अंदर मयाद सुमार करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

इसके अलावा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 164 जो कि बेचान के आधार पर ग्राम पंचायत भालूकलां द्वारा वर्ष 1973 मे स्वीकृत किया था परंतु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने यह कथन करते हुए उक्त म्युटेशन को अपील के जरिये चुनौती दी कि सुलतान सिह द्वारा अपने हिस्से की भूमि का बेचान किया ही नही गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रकार की जांच करवाये केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के कथनो को सही मानकर 46 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुए म्युटेशन संख्या 164 को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया जबकि इतने लंबे अंतराल के बाद म्युटेशन को निरस्त करने से पूर्व पक्षकारो

को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर इन तथ्यो की जांच करवानी थी कि अपीलाधीन म्युटेशन जिस दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत हुआ था, उक्त स्टाम्प पर बेचान की लिखत है अथवा नही, वर्तमान रेस्पो0गण संख्या 1 व 2 का मृतक खातेदार सुलतान सिह से क्या संबंध है तथा अपीलाधीन भूमि का मौके पर कब्जा किसका है, आदि । यह भी उल्लेखनीय है कि लगभग 46 वर्षो के लंबे अंतराल से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चले आ रहे खातेदारान का नाम म्युटेशन अपील की सरसरी कार्यवाही के जरिये खातेदारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना हटाया जाना न्यायोचित नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–5–2019 विधिसम्मत नही होने से निरस्त किया जाता है तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 164 ग्राम भालूकलां यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–11–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aslam Mehar
Date: 2019.11.28 16:04:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: